



2026:AHC:53235

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- सी संख्या - 6478/2026

नीरज उपाध्याय

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 60 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सुशीला पाण्डेय, विकास कुमार उपाध्याय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, उप-प्रभागीय अधिकारी, तहसील-मेजा, जनपद प्रयागराज का वैयक्तिक शपथ-पत्र न्यायालय में दायर किया गया, वही अभिलेख पर लिया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. उपरोक्त शपथ-पत्र के पैरा-8 में यह कहा गया है कि मामले में दिनांक 11.03.2026 को पहले ही निर्णय लिया जा चुका है।
3. इसका अवलोकन करने के पश्चात, याचिकाकर्ता के विधिक सलाहकार द्वारा वर्तमान रिट याचिका को सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए निष्प्रभावी/अर्थहीन हो जाने के रूप में खारिज करने की प्रार्थना की गई है।
4. रिट याचिका को निष्प्रभावी/अर्थहीन हो जाने के रूप में खारिज किया जाता है।

16 मार्च , 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”